न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 3/2025

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2025/48

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. नारायण पिता रामलाल ब्राहम्ण निवासी जिलोला तहसील आमेट 2. बालुराम पिता रामलाल ब्राहम्ण निवासी जिलोला तहसील आमेट 3. मदनलाल पिता रामलाल ब्राहम्ण निवासी जिलोला तहसील आमेट 4. रूकमण पुत्री रामलाल ब्राहम्ण निवासी जिलोला तहसील आमेट		1. लैण्ड हॉल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. जाकिर हुसैन रंगरेज, प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या पैरोकार सरकार उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक :– 6/1/2026

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 228 में अंकित आ.स. 237 रकबा 2.52 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में सदैव से आवागमन का एक मात्र कदीमी रास्ता सड़क की आराजी संख्या 239 में होकर विपक्षी की आराजी संख्या 238 की उत्तरी पाली पर होते हुए प्रार्थीगण की आराजी संख्या 237 में जाता है। उक्त रास्ता 30 फीट चौड़ा है जिससे प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के ामस से उक्त रास्ते से अपनी आराजी मे आवागमन कर फसल काश्त कर फसल लाभ लेते आ रहे है। तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल, ट्रेक्टर आदि ले जाते है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या में उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की आराजी संख्या 238 की उत्तरी पाली पर स्थित 30 फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जाने आदेश फरमाया जावें।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 तामील होने के बावजूद उपस्थित नही होने से दिनांक 24.01.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गई एवं विप्रार्थी तहसीलदार रायपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी

सहायक कलक्टर
(ए.सी.जे.) रायपुर

नक्शा में दर्शित मार्क यानि विप्रार्थी का खसरा संख्या 238 में से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 237 तक 30 फिट चौड़ा रास्ता भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। मौका रिपोर्ट में अलग दिशा से रास्ता दिया है, प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है।

04. न्यायालय नें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 238, में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/25 दिनांक 07.10.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. ग्राम माहसिंगपुरा के खसरा संख्या 237 रकबा 2.52 है0 किस्म का.बी. प्रार्थीगणो की खातेदारो भूमि है जिसमें आवागमन हेतु रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही है। मौके पर मोखुन्दा से ठिकरिया जाने वाली सड़क खसरा संख्या 252 से बिलानाग खसरा संख्या 238 में होकर आवागमन किया जा रहा है।

ii. मौके पर रास्ता (आवागमन) बन्द नही है।

iii. मौके पर खसरा संख्या 238 के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है।

iv. मौके पर सड़क से बिलानाम आराजी संख्या 238 में होकर आवागमन किया जा रहा है।

v. प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	रास्ते की भूमि	प्रस्तावित रकबा	डीएलसी दर	प्रस्तावित रास्ते की कीमत	दुगुनी कीमत
1	मासिंगपुरा	238	0.65	गे.मु. मंगरी	70X4.5	315 वर्गमीटर	35.90 प्रति वर्गमी.	11308.5	22617

प्रार्थीगण द्वारा 30 फीट रास्ता चाहा गया है। रिकॉर्ड में 15 फीट चौड़ा प्रस्तावित किया गया है जो निकटतम है।

vi. प्रस्तावित रास्ते को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

vii. मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

viii. प्रार्थीगण बाहर रहने से मौके पर उपलब्ध नही रहे है।

05. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

06. चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत आराजी संख्या 237 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते का रकबा 0.0315 है0 बनता हैं, जो खसरा संख्या 237 में होकर गुजरता है तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है, इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। मौके पर रास्ता बना हुआ है एवं वर्तमान में चालु है। प्रार्थी व अन्य खातेदरान इसी रास्ते आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता अधिक दुरी का होने से तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में लघुतम दूरी का रास्ते को प्रस्तावित किया गया है। धारा 251ए की मूल मंशा अनुसार लघुतम दुरी का रास्ता दिया जाना न्यायालय उचित समझता है। उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

07. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे

खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसारण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता 15 फीट चौड़ाई का कुल रकबा 0.0315 है0 है। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजियात में आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यता है। प्रार्थी को उक्त साधन के आवागमन के लिए 15 फीट चौड़ाई में रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी द्वारा आवागमन किया जा सकेगा। प्रार्थी की अपनी कृषि आराजियात में आवागमन हेतु 15 फीट चौड़ाई का कुल रकबा 0.0315 है भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–359000 रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि– 22617/–रूपये बनती है, जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है, अतः न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा ग्राम मासिंगपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा के आ.स. 237 रकबा 2.52 है0 भूमि में पहुंच हेतु खसरा संख्या 238 रकबा 0.65 है0 मे से 4.5 मीटर चौड़ा व 70 मीटर लम्बाई में रकबा 0.0315 है0,, भूमि संलग्न नक्शानुसार 15 फीट चौड़ाई में सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 22617/–(अक्षरे बाईस हजार छ सौ सत्रह) रूपयें की राशि राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6/1/26 को सार–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा